उत्तराखण्ड शासन,
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 571/195/IX–1/2004 टी.सी.
देहरादूनः दिनांकः 17 जुलाई, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–12 वर्ष 2003) की धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ट) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची का संशोधन 2 उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 के नीचे स्तम्भ I में दी गयी विद्यमान अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ II में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् –

स्तम्भ I वर्तमान अनुसूची (नियम 4 के उपनियम (2) के अन्तर्गत दुर्घटना/क्षति का विवरण)			स्तम्भ II एतदद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची (नियम 4 के उपनियम (2) के अन्तर्गत दुर्घटना/क्षति का विवरण)		
क्रम संख्या		देय राहत की धनराशि (रूपये में)	क्रम संख्या		देय राहत की धनराशि (रूपये में)
1	2	3	1	2	3
1	दुर्घटना में यात्री या अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर	50,000	1	दुर्घटना में यात्री या अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर	1,00,000
2	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, जबकि प्रभावित यात्री/ अन्य व्यक्ति, ऐसी पूर्ण स्थायी निःशक्तता जो नियोजन, उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में बाधक हो।	50,000	2	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, जबकि प्रभावित यात्री/अन्य व्यक्ति, ऐसी पूर्ण स्थायी निःशक्तता जो नियोजन, उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में बाधक हो।	1,00,000

कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड, देहरादून
संख्या 0084

	इसमें निम्नलिखित मामलें भी सम्मिलित है– (अ) दो अंगों की पूर्ण हानि (ब) दोनो नेत्रों की दृष्टि की पूर्ण हानि			इसमें निम्नलिखित मामलें भी सम्मिलित है– (अ) दो अंगों की पूर्ण हानि (ब) दोनो नेत्रों की दृष्टि की पूर्ण हानि	
3	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, यथा– (अ) टखने के ऊपर एक पैर की हानि (ब) एक नेत्र की हानि (स) दोनो कानों के सुनने की हानि (द) दाहिनी कलाई या एक भुजा की हानि (य) यदि घायल व्यक्तियों को 20 दिवस अथवा अधिक दिवस तक चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती रहना पडे	20,000	3	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, यथा– (अ) टखने के ऊपर एक पैर की हानि (ब) एक नेत्र की हानि (स) दोनो कानों के सुनने की हानि (द) दाहिनी कलाई या एक भुजा की हानि (य) यदि घायल व्यक्तियों को 20 दिवस अथवा अधिक दिवस तक चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती रहना पडे	40,000
4	दुर्घटना में सामान्य रूप से घायल होने की स्थिति में (कमांक 2 एवं 3 से भिन्न मामलों में)	5000	4	दुर्घटना में सामान्य रूप से घायल होने पर यदि घायल व्यक्ति को अनिवार्यतः दो दिवस तक चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती रहना पडे , की स्थिति में (कमांक 2 एवं 3 से भिन्न मामलों में)	10,000

आज्ञा से,

(डी0 सैन्थिल पाण्डियन)

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of the notification No. /195/ix-1/2004 T.C. Dated July, 2017 for general information.

No.57/195/ix-1/2004 T.C.

Dehradun: dated:17 July, 2017

Notification

In exercise of the powers confered clause (k) of sub-section (2) of section 28 of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 (Uttarakhand Act no 12 of 2003), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttarakhand Road Transport Accident Relief Fund Rules, 2008

The Uttarakhand Road Transport Accident Relief Fund (Second Amendment) Rules,2017

short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Road Transport Accident Relief Fund (Second Amendment) Rules, 2017

(2) It Shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette

Amendment of Schedule 2. In the Uttarakhand Road Transport Accident Relief Fund Rules, 2008 for the existing Schedule as set out in column I below, the Schedule as set out in column II shall be substituted, namely :-

Column I **Existing Schedule**			Column II **Schedule as hereby substituted**		
S. No	**Details of accident/loss under sub-section (2) of Section 4**	**Admissible relief amount (in rupees)**	**S. No**	**Details of accident/loss under sub-section (2) of Section 4**	**Admissible relief amount (in rupees)**
1	2	3	1	2	3
1	In case of death of passenger or other person in accident	50,000	1	In case of death of passenger or other person in accident	1,00,000
2	In case of grave injury in accident, where effected passenger/ other person has sustained such permanent disablement which prevent him from employment, other means of livelihood or any other business. It also includes the following – (a) Permanent disablement of two	50,000	2	In case of grave injury in accident, where effected passenger/ other person has sustained such permanent disablement which prevent him from employment, other means of livelihood or any other business. It also includes the following – (c) Permanent disablement of two	1,00,000

	parts (b) Permanent loss of sight of both eyes			parts (d) Permanent loss of sight of both eyes	
3	In case of grave injury in accident, namely- (a) Loss of leg above heel (b) Loss of one eye (c) Loss of hearing of both ear (d) Loss of right wrist or one arm (e) If the injured person remains admitted for treatment in hospital of twenty or more days	20,000	3	In case of grave injury in accident, namely- (a) Loss of leg above heel (b) Loss of one eye (c) Loss of hearing of both ear (d) Loss of right wrist or one arm (e) If the injured person remains admitted for treatment in hospital of twenty or more days	40,000
4	In case of ordinary injury in accident (Other than those matter of Sl.No. 2 and 3)	5,000	4	In case of ordinary injury in accident, If the injured person compulsorily remains admitted for treatment in hospital for two days (Other than those matter of Sl.No. 2 and 3)	10,000

By Order,

(D. Sainthil Pandiyan)
Secretary